

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस

1. अपील संख्या 05/2017

तुलछा राम पुत्र टिकुराम जाति नायक निवासी 2 ओ तह. श्रीकरणपुर  
जिला श्रीगंगानगर।


—अपीलांट

बनाम

1. दौलतराम | पिसरान जीवन राम जाति नायक निवासी
2. लक्ष्मणराम | 2 ओ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. जगदीश
4. तारूराम
5. सोमा पुत्री जीवनराम जाति नायक निवासी चक 9 एलएसएम  
तह0 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. खेमी पत्नी खेमराज जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तह0 व  
जिला श्रीगंगानगर।
7. अमरजीत | पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी 2 ओ तह0
8. वीरू राम | श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. ओमप्रकाश
10. जीवनराम पुत्र टिकूराम जाति नायक निवासी 2 ओ0 तह0  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट आफ राजस्थान

—रेस्पोंडेन्टान

2. अपील संख्या 37/2017

  
24/7/17  
राजस्व अमाल प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

1. वीरू राम पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी चक 2 ओ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. परमेश्वरी पुत्री केसरी पुत्री उदाराम जाति नायक निवासी दलपतसिंहपुरा तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. खीयांराम | पि. उदाराम जाति नायक निवासी चक 2 ओ तह0
4. ओमप्रकाश | श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. अमरजीत

—अपीलांट्स

बनाम

1. जीवन पुत्र टीकू राम जाति नायक निवासी चक 2 ओ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मेघाराम | पि. चुनकी पुत्री केसरी जाति नायक निवासी 7 ओ
3. दुलाराम | कॉलोनी तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. माया पुत्री चुनकी पुत्री केसरी, पत्नी कालुराम जाति नायक निवासी चक 24 एफ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. पप्पूडी पुत्री चुनकी पुत्री केसरी, पत्नी हरीराम नायक निवासी चक 56 एफ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. फुली पुत्री चुनकी पुत्री केसरी, पत्नी मोटाराम नायक निवासी प्रेम नगर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. रेशरमी पुत्री चुनकी, पुत्री केसरी, पत्नी पेमाराम जाति नायक निवासी चक 56 एफ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. गुड्डी पुत्री तीजा पत्नी उदाराम नायक निवासी 9 एल पी एम तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।



24/7/11  
राजस्व अपाल प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

9. लालकी पुत्री तीजा पत्नी उदाराम, नायक निवासी सलेमपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए उपजिलाधीश पदेन पुनर्वास, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1975  
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी राजस्व, श्रीकरणपुर  
दिनांक 14.09.2016

उपस्थिति:

- श्री ओ.पी.बतरा, अभिभाषक अपीलांत  
श्री सतीश गोसाईं, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ता 6, 10 अपील सं.  
05/17  
श्री तेजा सिंह, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 अपील सं. 37/2017  
श्री सुखराज चारण, अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ता 9 अपील सं. 37/17  
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता



निर्णय :-

दिनांक :- 24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जगदीश राम ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता जीवनराम के नाम से चक 2 ओ के मु. नं. 57 में 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से फैसला प्रार्थी के पक्ष में हो चुका है।


24/7/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः निवेदन है कि उच्च न्यायालय जोधपुर के फैसले अनुसार उक्त भूमि की सनद खातेदारी जारी की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 14.09.2016 को सनद जारी करदी। जिसके विरुद्ध उक्त दोनों ही अपील पेश हुई है। दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा दोनों अपीलों की एकसाथ बहस की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत अपील सं. 05/2017 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांत का हक बनता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांत को बिना सुने बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अपीलांत भारत-पाक विभाजन पर अपने भाई जीवनराम के साथ ही आया था मगर कर्म आयु का होने के कारण अनुचित लाभ उठाकर जीवनराम ने अपने व उदाराम के नाम से भूमि आवंटन करवा ली। अपीलांत को 6.5 बीघा भूमि का कब्जा दिया गया जिस पर अपीलांत का कब्जा काश्त चला रहा है। सनद जारी करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को बिना सुने पारित किया गया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांत ने 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति



  
24/11/17  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाष अपीलांट अपील सं. 37/2017 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता व अपीलांट के चाचा भारत-पाक विभाजन के समय आए थे जो जीवों के आधार पर चक 2 ओ के मु. नं. 57 की 25 बीघा भूमि आवंटन की थी। ववक्त आवंटन जीवन, पुरा, उदाराम, केसरी, चानणा, तुलछा, सोनी, सात परिवार के सदस्य थे। उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित थे फिर भी इस ध्यान नहीं दिया। उदाराम, चानणा, सोनी तथा केसरी व पुरा का देहान्त चुका है। कानूनन मृतक व्यक्ति या उसके पक्ष में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। बेसिक रजिस्टर में चानणा उदाराम की पुत्री है। रेस्पों. सं. 1 द्वारा चानणा का हिस्सा हड़पने की नियत से चानणा को जीवन राम की पुत्री दर्शाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही तथ्यों की जांच किए बिना आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ



*[Handwritten Signature]*  
24/7/17  
राजस्व अपील प्राधिकरण  
श्रीगंगानगर (राज.)

करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सनद जारी की गई वो सही जारी की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी कैसे हुई नकलें कब प्राप्त हुई इसका कोई हवाला प्रार्थना पत्र धारा 58 मियाद में नहीं दिया। विवादित भूमि नोन क्लेमेंट के रूप में जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी। उस समय जो जीवों के नाम अंकित थे उन्हीं के नाम से सनद जारी हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है। वह उचित है। अतः दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।



अपील सं. 5/2017 में अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोनों ही अपीलों में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्ड रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए दोनों ही अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।


अपीलांट एवं रेस्पो. एक ही परिवार के सदस्य हैं जो वंश वंशावली के अनुसार जीवन राम के वारिस हैं तथा पत्रावली पर

  
24/7/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बेसिक रजिस्टर की छाया प्रति से रेस्पो. दोनों दर्ज होना प्रतीत हो रहा है । परन्तु अपीलान्ट के नाम के चारों तरफ गोला लगाया हुआ है । जिसका तकनीकी भाषा में क्या अर्थ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में इसका नाम हटाया जाना मानकर सनद जारी नहीं की जबकि बेसिक रजिस्टर में कोई नाम हटाने का विधिवत् आदेश या विशेष विवरण का नोट लगाया जाकर उससे सनद से महरूम करने का कारण अंकित किया जाना अपेक्षित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 14.09.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि आया अपीलान्ट पाक विस्थापित होकर, नोन क्लेमेंट होकर भूमि आवंटन का पात्र है तथा पात्रता अनुसार उसका हक परीक्षित किया जाना अपेक्षित है जो नियमों की परिधि में परीक्षण कर पुनः निर्णय प्रस्तुत किया जावे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2017 उपस्थित रहें।



निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(प्रेमराम परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर